

कृषि विभाग से पाईप लाईन पर अनुदान प्राप्ति हेतु आवेदन-पत्र

सेवामें,

श्रीमान् उप निदेशक कृषि (वि.)
जिला परिषद सवाई माधोपुर

पंजीयन क्रमांक.....

दिनांक.....

(कार्या.स.नि.कृ.वि.के उपयोग के लिए)

(स.कृ.अ. पंजीयन क्रमांक पत्रावली के पृष्ठ भाग पर लिखें)

फोटों

महोदय,

निवेदन है कि मैं कृषि विभाग से पाईप लाईन पर अनुदान प्राप्त करना चाहता/चाहती हूँ। कृपया मुझे नियमानुसार अनुदान स्वीकृत करने की कृपा करें। मेरा विवरण निम्नप्रकार है:—मोबाईल नम्बर

1. नाम..... पुत्र/पत्नि श्री.....
2. जाति.....जाति श्रेणी(GN/SC/ST/OBC/Min.) कृषक श्रेणीसीमान्त/लघु/अन्य
3. ग्राम पं.स. जिला
4. मेरे पास सिंचाई का स्रोत(कुआं/नलकूप/फार्मपौण्ड)हैं जो ख.नं.में स्थित हैं/ स्रोत नहीं हैं। और दूसरे कृषक के ख.नं.में स्थित सिंचाई स्रोत से सिंचाई कर रहा हूँ। उस कृषककी जमाबन्दी एव सहमति पत्र संलग्न हैं।
5. मेरे पास जल दोहन हेतु.....(विद्युत/डीजल चलित पम्पसेट)उपलब्ध हैं।
6. मेरे बैंक खाते का विवरण निम्नानुसार है—(मेरे ऑन लाईन बैंक खाते की स्पष्ट नं. वाली पासबुक की फोटोप्रति संलग्न हैं।)
(A) बैंक का नाम
- (B) खाता संख्या नं.—

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
- (C) बैंक खाता धारक का नाम मय पिता
7. पाईप लाईन का निर्माण वर्षकम्पनी का ब्राण्ड एवं मैक एचडीपीआई/पीवीसी
8. खेत का नजरी नक्शा
उत्तर
पश्चिम

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 पूर्व
दक्षिण

—स्वघोषणा—

मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि—

1. मैंने कृषि विभाग से पाईप लाईन पर पूर्व में कोई अनुदान प्राप्त नहीं किया है तथा अनुदानित पाईप लाईन को मैं किसी भी प्रकार से खुर्द-बुर्द/बैचान नहीं करूंगा/करूंगी।
2. मैंने जिस श्रेणी व जाति के लिए आवेदन किया है मैं उसी से सम्बद्ध हूँ तथा संलग्न राजस्व रिकार्ड, बैंक प्रमाण पत्र सही हैं।
3. उपरोक्त विवरण में यदि किसी भी प्रकार की कोई गलती रहती है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी है। उपरोक्त शर्तों की अवहेलना करने व गलत जानकारी देने पर विभाग मुझसे अनुदान की सम्पूर्ण राशि वसूल करने तथा अन्य वैधानिक कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

गवाह के हस्ताक्षर

नाम व पता.....

दिनांक

कृषक के हस्ताक्षर/अंगुठा निशानी

नाम

दिनांक

आवश्यक निर्देश:— (A) आवेदन पत्र के साथ निम्न क्रम में संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज:—1. आवेदन पत्र 2. बैंक पासबुक की फोटोकॉपी 3. पाईपका मूल बिल 4. सिंचाई प्रमाण पत्र 5. सिंचाई सहमति पत्र (यदि आवश्यक हो तो) 6. खेत का नक्शा ट्रेस (लालस्याही से सिंचाई स्रोत दर्शाते हुरें) 7.जमाबन्दी 8. शपथ पत्र

(B) 1. सिंचाई प्रमाण पत्र 2. सहमति पत्र 3. शपथ पत्र का प्रारूप संलग्न हैं।

आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद

श्री पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री/श्रीमतिनिवासी का प्रार्थना पत्रअनुदान हेतु प्राप्त किया। जिसका पंजीयन क्रमांक..... दिनांक पर अंकित है। अनुदान का भुगतान पात्रता एवं बजट उलब्धता के आधार पर होगा।

दिनांक

हस्ताक्षर

पद.....

भौतिक सत्यापन रिपोर्ट

- प्रमाणित किया जाता है कि वर्ष में कृषक श्री/श्रीमतिपुत्र/पुत्री/पत्नि श्री ग्राम ग्राम पंचायत.....पं0स0..... तहसीलजिलाके खेत पर मेरे द्वारा पाईप लाईन का भौतिक सत्यापन किया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार हैं—
1. भौतिक सत्यापन करने वाले अधिकारी/कर्मचारी का नाम
 2. पदनाम.....कृषि पर्य.क्षेत्रस.कृ.अ.क्षेत्र.....
 3. भौतिक सत्यापन करने की दिनांक.....
 4. कम्पनी का ब्रांड एवं मैक.....
 5. कम्पनी का आई.एस.आई. नं. (सीएमएलनं.).....
 6. पाईप(पी.वी.सी./एच.डी.पी.ई.)का बैच नं.
 7. कृषक द्वारा पाईप लाईन स्थापित करने का वर्षमाह(कृषक से पूछताछ कर भरा जावें)
 8. मौके पर मेरे द्वारा पाईप लाईन के भौतिक सत्यापन के पश्चात निम्न विवरण पाया गया –
(क) पाईप लाईन की लम्बाई.....(ब)पाईप की साईज.....
(स) पाईप लाईन की क्या स्थिति है.....
 9. क्या कृषक द्वारा पूर्व में पाईप लाईन पर अनुदान लिया गया है? हां... नहीं.....यदि हां हो तो वर्ष.....
कम्पनी का ब्रांडक्षेत्रफल
 10. मौके पर बोई गयी फसलों का विवरण
 11. कृषक का सिंचाई स्रोत.....
 12. अन्य कोई महत्वपूर्ण बिन्दू जौ मौका निरीक्षण के दौरान देखा गया है।

कृषक के हस्ताक्षर/अंगुठा निशानी

भौतिक सत्यापन करने वाले अधिकार/
कर्मचारी के हस्ताक्षर मय नाम, पदनाम
व दिनांक

कार्यालय सहायक निदेशक (विस्तार) जिला परिषद इस आवेदन पत्र व भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर कृषि विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप कृषक श्री/ श्रीमतिपुत्र/पुत्री/श्री.....को पाईप लाईन पर अनुदान राशि रूपयेंभुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं।